

तारीख
हुण्ड

हुण्ड या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

29.01.2023

P.P. के
लिए
नए
का

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित।
तरलीबी प्रतिवादी संख्या 43 की तलबी सम्मन तलबाना पेश होने पर
जारी की जावे। प्रकरण में वकील वादीगण ने वादपत्र के विभाजन
से सम्बन्धित होने से प्रकरण में सीधे ही प्रारम्भिक डिक्री जारी कर
वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग-अलग बनाया
जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग-अलग सीव कायम
कर नवशे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव
तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने बाबत सहमति व्यक्त करते
हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। वकील
वादीगण के निवेदन पर वादपत्र में पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में
दर्ज हक हिस्से व कब्जे काशत अनुसार विधिक विभाजन किये जाने
हेतु विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाया जाना उचित
समझते हैं। प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में
पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादीगण
एवं प्रतिवादीगण को उसके हक हिस्सा व खातेदारी में दर्ज कृषि
भूमियों का उनके मध्य विधिक तकास्मा किया जाकर अलग-अलग
खातेदार काशतकार दर्ज करते हुए प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव
तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जावे। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री
का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शानिल पत्रावली किया गया।
निर्णयानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को
आदेशित किया जाता है कि वे प्रारम्भिक डिक्री के निर्णयानुसार
विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काशतकारी (राजस्व मण्डल) नियम
1955 के नियम- 18 से 21 की नियमानुसार पालना करते हुए एवं
माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय 2017 आर.
आर. टी. पेज 689 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार उभय पक्षों को
सूचना देकर विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार से तैयार करवाकर
एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/स्थ/प
स्था/प -51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 दिशा निर्देशानुसार तैयार किये जाकर कुरेजात रिपोर्ट मँगवाये जाने
हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। वास्ते

—लगातार—

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

शांति व न्याय सारंगी 5/22

लेख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

दस्ता

सु.नं. - 80/2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में पेश हुआ है । जिस पर उपस्थित वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र डिक्री किया जाता है । प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो ।


30/01/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
80 / 2022	2022 / 154	14.07.2022	30.01.2024 (अंतिम डिट्टी)

- 1 शक्ति सिंह पुत्र महावीर सिंह उम्र 32 वर्ष
- 2 प्रकाश कंवर पत्नि महावीर सिंह उम्र 50 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

—वादीगण

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र रामावतार आयु 50 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
2. औमप्रकाश पुत्र गोर्धनदास आयु 40 वर्ष , जाति कुमावत, निवासी ग्राम अणतपुरा , तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ,
3. गोकुलसिंह पुत्र सरदार सिंह , आयु 60 वर्ष , जाति राजपूत (जमाबंदी में दर्ज जाति अहीर), निवासी तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ,
4. गोपाललाल पुत्र गणपतलाल , आयु 58 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी डेरावाली तन ग्राम दिवराला , तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
5. चेतन पुत्र हरिनारायण , आयु 32 वर्ष , जाति जांगिड निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
6. जयप्रकाश पुत्र रामावतार , आयु 45 वर्ष , जाति ब्राह्मण , निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
7. ताराचन्द पुत्र हरिनारायण , आयु 38 वर्ष, जाति जांगिड निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
8. दशरथ सिंह पुत्र सरदार सिंह , आयु 55 वर्ष , जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
9. दीपेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुन लाल कुमावत , आयु 35 वर्ष , जाति कुमावत (जमाबंदी में दर्ज जाति जांगिड) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।


20/01/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकायाना)

10. दीपूंसिंह पुत्र मदनसिंह आयु 38 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
11. नन्दीदेवी पत्नि स्व० हरिनारायण आयु 55 वर्ष जाति जागिड निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
12. नन्दलाल पुत्र कानाराम आयु 32 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
13. नीलम पुत्री हरिनारायण आयु 40 वर्ष जाति जागिड निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
14. पूनम पुत्री हरिनारायण आयु 35 वर्ष जाति जागिड सा. ढाणी खातेदार निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
15. बरजी पत्नि सोहनलाल आयु 58 वर्ष जाति अहीर (जमाबंदी में दर्ज जाति बाहमण) निवासी ढाणी मत्सूक सिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
16. बलवंतराम पुत्र हेमाराम आयु 60 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति जागिड) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
17. बीरबलसिंह पुत्र सरदार सिंह आयु 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
18. भादरमल पुत्र मंगलाराम आयु 45 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति राजपूत) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
19. मंजू पुत्री हनुमानप्रसाद आयु 35 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति राजपूत) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
20. मथुराप्रसाद पुत्र अर्जुनलाल कुमावत आयु 40 वर्ष जाति कुमावत (जमाबंदी में दर्ज जाति जागिड) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
21. मनोज कुमार पुत्र रामावतार आयु 48 वर्ष जाति बाहमण निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
22. मूलचन्द पुत्र हेमाराम आयु 55 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति जागिड) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
23. महेश पुत्र हनुमान प्रसाद आयु 40 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति राजपूत) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
24. मालाराम पुत्र मंगलाराम आयु 40 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति राजपूत) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
25. मिश्री कंवर पत्नि मदनसिंह आयु 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

Palhar
30/01/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (साइट टैंक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

26. रुडमल पुत्र प्रभातीलाल आयु 40 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
27. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद आयु 40 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति राजपूत) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
28. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अर्जुनलाल आयु 45 वर्ष जाति कुमावत (जमाबंदी में दर्ज जाति जांगीड) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
29. रामकिशोर पुत्र सुरजमल आयु 50 वर्ष जाति अहीर नि. ढाणी सरपंच वाली निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
30. रामपाल पुत्र हेमाराम आयु 50 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति जांगीड) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
31. रामसिंह पुत्र मदनसिंह आयु 48 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
32. लिछमणसिंह पुत्र मदनसिंह आयु 42 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
33. श्रवणदेवी पत्नि भैरूलाल आयु 60 वर्ष जाति कुमावत (जमाबंदी में दर्ज जाति ब्राह्मण) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
34. शान्ति पत्नि हनुमानप्रसाद आयु 50 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति राजपूत) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
35. सुभाषचन्द पुत्र रामावतार आयु 55 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
36. सरीता पुत्री हनुमान प्रसाद आयु 38 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
37. सरोज कंवर पुत्री मदन सिंह आयु 50 वर्ष जाति रैगर (जमाबंदी में दर्ज जाति राजपूत) निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
38. हनुमान सहाय पुत्र लादूराम आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम अणतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।
39. पटवारी ,पटवार हल्का दिवराला (वादपत्र विद्वा)
40. उप पंजीयक अजीतगढ (वादपत्र विद्वा)
41. उपतहसीलदार अजीतगढ (वादपत्र विद्वा)
42. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

.....प्रतिवादीगण

43. सोनू सिंह पुत्र महावीर सिंह उम्र 29 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ।

..... तरतीबि प्रतिवादीगण

P. S. Singh
20/11/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फाट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नैमज्जाबाग)

उपस्थित : -

श्री विक्रम सिंह बांकावत एड० वादीगण अभिभाषक ।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 42 की ओर से ।

दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्त० अधिनियम)

---:: निर्णय ::---

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2482 रकबा 1.26 है० अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. है। जिसके हिस्सा 148367/1890000- 148367/1890000 भाग के वादीगण व तरतीबि प्रतिवादीगण रिकोर्डेड काबिज खातेदार का तकार चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकोर्ड में शामिल चली आ रही है, परन्तु मौके पर बंटी हुई। राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादीगण के नाम निम्न तालिका में अंकितानुसार खातेदारी दर्ज चली आ रही है उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामिल चली आ रही है, परन्तु मौके पर अर्सा कदीम से बंटी हुई है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज काश्त चले आकर उक्त भूमि को अपनी अपनी आवश्यकतानुसार विकसीत कर रखा है। मौके पर चले आ रहे बंटवारा अनुसार वादीगण एवं तरतीबि प्रतिवादी संख्या 43 भूमि खसरा नम्बर 2482 की पूर्वी दिशा की तरफ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की 0.2967 है० भूमि में काबिज काश्त चला आ रहा है। वादीगण एवं तरतीबि प्रतिवादी संख्या 43 की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में ए.बी.सी.डी



P. S. Rao


30/10/2018
सहायक कलेक्टर (साठ है।)
श्रीमाधोपुर (निषेधाज्ञा)

बिन्दुओ व लाल स्याही से सीमांकित किया गया है । उक्त भूमि अर्सा कदीम वक्त बुजुर्गान से मौके पर विभाजित होकर सभी पक्षकारान अलग अलग काबिज काशत चले आ रहे है । वादीगण एवं तरतीबि प्रतिवादी संख्या 43 ने अपनी भूमि के पुख्ता सीमा चिन्ह , तारबंदी, मेडबंदी आदि कर रखी है तथा बडी संख्या में पेड लगा रखे है तथा दक्षिणी तरफ की भूमि पर आवासीय मकान अपने निवास के लिए बना रखे है । वादीगण ने अपने हक हिस्से व कब्जे काशत की भूमि में लाखो रूपये लगाकर व बडी मेहनत करके उक्त भूमि को समतल , उपजाउ व विकसीत कर रखा है तथा मेडबंदी , तारबंदी आदि करके अपने हक हिस्से की भूमि की अलग अलग हद हदुद व सीमा चिन्ह कायम कर रखे है तथा प्रतिवादीगण भी अलग अलग काबिज काशत होकर अपनी आवश्यकतानुसार उक्त भूमि को विकसीत कर रखा है । इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामिल होती चली आ रही है , परन्तु मौके पर बंटी हुई । वादीगण अपने कब्जे काशत की भूमि पर पूर्णतैया काबिज काशत चले आ रहे है । वादी की कब्जे काशत की भूमि से प्रतिवादीगण का किसी किस्म का हक सरोकार नही है । उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामिल होती चली आ रही है परन्तु मौके पर वादग्रस्त भूमि का बंटवार हो रखा है । उक्त वर्णितानुसार व संलग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार वादीगण अपने हक अधिकार की भूमि पर बतौर खातेदार अलग काबिज काशत चले आ रहे है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 38 काबिज काशत चले आ रहे है । वादीगण ने अपने कब्जे का त की भूमि की अलग से सीवडोल, तारबंदी आदि करके अलग से सीमा चिन्ह कायम कर रखे है । इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 38 ने अपनी अपनी भूमि की अलग अलग सीमाएं कायम की हुई । इस प्रकार उक्त भूमि मौके पर बंटी होकर वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर तन्हा काबिज का त चले आ रहे है । जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में सामलाती



P. S. S.
30/10/24
सहायक कलक्टर (नौकरी)
श्रीमधोपुर (नौकरी)

चली आ रही है । उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में शामिल होने के कारण वादीगण अपने कब्जे काशत की भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे तथा सरकारी अनुदान सहायता , ऋण आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण 1 ता 38 को उक्त भूमि का तकास्मा करवाकर अपने अपने कब्जे काशत की भूमि की अलग से जमाबंदी व राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे हैं तथा दुसरी स्थिति में उक्त भूमि में सहखातेदार की संख्या अधिक होने के कारण उक्त सभी सहखातेदार एक साथ बंटवारे हेतु उपस्थित नहीं हो पाने के कारण भी उक्त भूमि का तकास्मा नहीं हो पा रहा । जिसके लिए वादीगण ने काफी प्रयास किये । इसी के चलते वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों का मौका स्थिति व कब्जे काशत के अनुसार तकास्मा करवाने , राजस्व रिकॉर्ड , नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करवाने का निवेदन किया , जिस पर प्रतिवादीगण हमेशा समयभाव बताकर टालमटोल करते रहे हैं । परन्तु वर्तमान में भूमि की बढ़ती किमतों को देखकर एवं वादी द्वारा लाखों रुपये लगाकर अपनी भूमि को अत्यधिक विकसीत , उन्नत कर लेने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई तथा उक्त भूमि का मौका स्थिति के अनुसार एक दुसरे के हक में राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने एवं तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे हैं । जिसका प्रतिवादीगण को किसी किसम का हक सरोकार नहीं है । इसलिये वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है । इसलिये उक्त वर्णित वादीगण के कब्जे काशत की भूमि जिसको संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही एवं ए.बी.सी.डी बिन्दुओं से दर्शाया गया है, का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त मौका स्थिति के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादीगण को उसके कब्जा काशत भूमि का अलग से



Paloo
30/07/14
दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (जाट ट्रेड)
श्रीमाधोपुर (नीमकाधाना)

काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में अलग से इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । वर्तमान में जमीनों की किमतों के बढ़ जाने के कारण एवं वादीगण द्वारा लाखों रुपये लगाकर एवं मेहनत आदि करके अपनी भूमि को काफी विकसीत कर लिये जाने के कारण वादीगण की भूमि बेशकीमति हो गई है । प्रतिवादीगण अधिक संख्या में होने के कारण एक साथ एक जगह तकास्मा हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे हैं एवं वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लगे हैं तथा वादीगण को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं एवं बिना तकास्मा करवाये अन्य अजनबी व्यक्तियों को बेचान व अन्तरण करने पर आमादा हो रहे हैं । जिसका प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक एवं अधिकार नहीं है । यदि प्रतिवादीगण अपने उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य में सफल हो जावेगे तो वादीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी सुरत में संभव नहीं होगा । इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने के विधिक अधिकारी हैं । इसलिये प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध काम के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अर्सा करीब सप्ताह भर पूर्व वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए मना कर दिया तथा वादीगण के उनके कब्जे काश्त की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने पर आमादा होने लगे तथा बिना तकास्मा करवाये अन्य दीगर को अन्तरण करने की एलानियां धमकिया देने लगे तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने से मना कर दिया । इस पर वादकारण उत्पन्न होकर वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश करना



P. K. Singh
20/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (कानून)
श्रीमधोपुर (नीमकाधान)

लाजिमी हुआ है। वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2482 रकबा 1.26 है 0 अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीगाधोपुर जिला सीकर राज. में वादीगण व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 42 के कब्जे काशत की हिरसा 148367/1890000-148367/1890000 भाग अर्थात् 0.2967 है 0 भूमि, जो कि वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित मौका स्थिति अनुसार संलग्न नजरी नक्शे में ए,बी,सी,डी बिन्दुओं व लाल स्याही से दर्शाया गया है, का वादीगण व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 42 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 38 के मध्य तकास्मा किया जाकर वादीगण व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 42 को उनके कब्जा काशत की उक्त भूमि का तन्हा काबिज खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीगण व तरतीबि प्रतिवादी संख्या 42 की भूमि की अलग से जमाबंदी जारी की जावे तथा राजस्व रिकोर्ड एवं नक्शा ट्रेस में वादी की भूमि का अलग से अंकन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 38 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं प्रतिवादी संख्या 42 की तामील असागतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 38 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 41 के विरुद्ध वादपत्र विद्धा किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 41 के विरुद्ध वादपत्र विद्धा किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा प्रकरण के तकास्मा से संबंधित होने से प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने का निवेदन करते हुये वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने हेतु सहमति

P. S. S. S.
20/01/20

स्वरूप पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये । वकील वादीगण के निवेदन पर वादग्रस्त भूमि का मौके पर चले आ रहे कब्जे काशत अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 23.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काशतकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/ स्वयं/ प-51/2008/विधि/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार मंगवाये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में जारीये पत्रांक 614/रीडर दिनांक 28.03.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जारीये पत्रांक मु.प्र. /24/46 दिनांक 09.01.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.01.2024 को पेश हुई।

वकील वादीगण की ओर से मिस्त्र तलब प्रार्थना पत्र के साथ मीघ सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश हुआ । जिस पर वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र को वाद सुनवाई स्वीकार किया गया तथा पत्रावली में सुनवाई हेतु तारीख पेशी दिनांक 30. 01.2024 नियत की गई । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने की सहमति देते हुये पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये ।

P. J. J.
20/01/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (आर. डी.)
श्रीमाधोपुर (नीनकाथन)

वकील वादीगण ने प्रकरण तकारमा से संबंधित होने एवं इस संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील वादीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई।

हमने वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अक्लाकन किया तथा वकील वादीगण की बहस एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत धारा-53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि वकील वादीगण अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने की अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 38 व 43 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये। खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 38 व 43 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हे। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाये। अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

[Handwritten Signature]
20/1/24


दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (अ.स.वे.)
श्रीमाधोपुर (नैनकापूर)

—:क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एवं झाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किये गये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रैजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पत्रांक भूअ./24/46 दिनांक 09.01.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है-

जमाबन्दी के अनुसार खाते की स्थिति :-

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किरम	लगा
1.	873	1. अशोक कुमार पुत्र रामावतार हि. 5/4252 जाति ब्राह्मण सा. अणतपुरा 2. औमप्रकाश पुत्र गोर्धनदास हि. 1/280 जाति कुमावत 3. गोकुल सिंह पुत्र सरदार सिंह हि. 51061/4200 जाति अहीर नि० ढाणी डेरावाली 4. गोपाललाल पुत्र गणपतलाल हि. 11/8400 जाति अहीर नि. ढाणी डेरावाली 5. चेतन पुत्र हरिनारायण हि. 697/87500 जाति जांगिड़ 6. जयप्रकाश पुत्र रामवतार हि. 5/252 जाति ब्राह्मण सा. अणतपुरा 7. ताराचंद पुत्र हरिनारायण हि. 697/87500 जाति जांगिड़ 8. दशरथ सिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 1/4200 जाति राजपूत 9. दीपेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुनलाल कुमावत ह. 1111/1260000 जाति जांगिड़ सा. अणतपुरा 10. दीपूसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत	2482	1.26 हे०	बाराही 1	7.77


 20/01/24
 दिलीप सिंह
 सहायक कलेक्टर (फाउंडेशन)
 श्रीमधोपुर (नीमकावाली)

- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 11. नन्ही देवी पत्नी हरिनारायण हि.
697/87500 जाति जांगिड़ | | | | |
| 12. नन्दलाल पुत्र कानाराम हि.
1/350 जाति कुमावत | | | | |
| 13. नीलम पुत्री हरिनारायण हि.
697/87500 जाति जांगिड़ | | | | |
| 14. पूनम पुत्री हरिनारायण हि.
697/87500 जाति जांगिड़ | | | | |
| 15. बरजी पत्नी सोहनलाल हि.
7/1800 जाति ब्राह्मण | | | | |
| 16. बलवंतराम पुत्र हेमाराम हि.
17/840 जाति जांगिड़ | | | | |
| 17. बीरबलसिंह पुत्र सरदारसिंह हि.
11/126 जाति राजपूत | | | | |
| 18. भादरमल पुत्र मंगलाराम हि.
9/400 जाति राजपूत | | | | |
| 19. मु0 प्रकाश कंवर पत्नी महावीर
सिंह हि. 148367/1890000 जाति
राजपूत | | | | |
| 20. मंजू पुत्री हनुमानप्रसाद हि.
17/1400 जाति राजपूत | | | | |
| 21. मथुरा प्रसाद पुत्र अर्जुनलाल
कुमावत हि. 1111/1260000 जाति
जांगिड़ | | | | |
| 22. मनोज कुमार पुत्र रामवतार हि.
5/252 जाति ब्राह्मण | | | | |
| 23. मूलचन्द पुत्र हेमाराम हि.
17/840 जाति जांगिड़ | | | | |
| 24. महेश पुत्र हनुमान प्रसाद हि.
17/1400 जाति राजपूत | | | | |
| 25. मालाराम पुत्र मंगलाराम हि.
9/400 जाति राजपूत | | | | |
| 26. मिश्री कंवर पत्नी मदनसिंह हि.
341/7000 जाति राजपूत | | | | |
| 27. रुइमल पुत्र प्रभातीलाल हि.
119/90000 जाति माली | | | | |
| 28. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद
हि. 17/1400 जाति राजपूत | | | | |
| 29. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अर्जुनलाल हि.
1111/1260000 जाति जांगिड़ | | | | |
| 30. रामकिशोर पुत्र सुरजमल हि.
11/8400 जाति अहीर | | | | |
| 31. रामपाल पुत्र हेमाराम हि. | | | | |



P. Lal
20/01/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (पुनर्जाति)
श्रीगंगोत्री, उत्तरांचल

17/840 जाति जागिह				
32. रामसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत				
33. लिच्छमण सिंह पुत्र मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत				
34. शक्तिसिंह पुत्र महावीर सिंह हि. 148367/1890000 जाति राजपूत				
35. श्रवण देवी पत्नी भैरूसिंह हि. 1/300 जाति ब्राह्मण				
36. शांति पत्नी हनुमानप्रसाद हि. 17/1400 जाति राजपूत				
37. सुभाषचन्द पुत्र रामावतार हि. 1/300 जाति ब्राह्मण				
38. सरीता पुत्री हनुमानप्रसाद हि. 17/1400 जाति राजपूत				
39. सरोज कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत				
40. सोनू सिंह पुत्र महावीर सिंह हि. 148367/1890000 जाति राजपूत				
41. हनुमानसहाय पुत्र लादूराम हि. 1/168 जाति माली सा. अणतपुरा खातेदार				
योग	किता 1	1.26 है०		7.77

मौके के अनुसार बंटवारा :- 1

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	873/1	1. प्रकाश कंवर पत्नी स्व० महावीर सिंह जाति राजपूत हि. 1/3 2. शक्ति सिंह पुत्र स्व० महावीर सिंह जाति राजपूत हि. 1/3 3. सोनू सिंह पुत्र महावीर सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/3 सा० देह खातेदार	2482/2 2482/5	0.24 है० 0.0567 है.	बारानी। बारानी।	2.00 0.77
		योग	2	0.2967 है.		2.77

मौके के अनुसार बंटवारा :-2

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान

Pattar
30/01/24
विलीप सिंह
सहायक कलक्टर (कानून २५)
श्रीवाघोपुर (नीमकाधान)

873

2

1. अशोक कुमार पुत्र रामावतार हि. 5/252 जाति ब्राह्मण सा. अणतपुरा	2482/1	0.1800	बारानी।	1.00
2. औमप्रकाश पुत्र गोरधनदास हि. 1/280 जाति कुमावत	2482/3	0.0900	बारानी।	0.80
3. गोकुल सिंह पुत्र सरदार सिंह हि. 51061/4200 जाति अहीर नि0 ढाणी डेरावाली	2482/4	0.4300	बारानी।	2.00
4. गोपाललाल पुत्र गणपतलाल हि. 11/8400 जाति अहीर नि. ढाणी डेरावाली	2482/6	0.0233	बारानी।	0.30
5. चेतन पुत्र हरिनारायण हि. 697/87500 जाति जांगिड़	2482/7	0.2400	बारानी।	1.00
6. जयप्रकाश पुत्र रामवतार हि. 5/252 जाति ब्राह्मण सा. अणतपुरा				
7. ताराचंद पुत्र हरिनारायण हि. 697/87500 जाति जांगिड़				
8. दशरथ सिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 1/4200 जाति राजपूत				
9. दीपेन्द्र कुमार पुत्र अर्जुनलाल कुमावत ह. 1111/260000 जाति जांगिड़ सा. अणतपुरा				
10. दीपूसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत				
11. नन्ही देवी पत्नी हरिनारायण हि. 697/87500 जाति जांगिड़				
12. नन्दलाल पुत्र कानाराम हि. 1/350 जाति कुमावत				
13. नीलम पुत्री हरिनारायण हि. 697/87500 जाति जांगिड़				
14. पूनम पुत्री हरिनारायण हि. 697/87500 जाति जांगिड़				
15. बरजी पत्नी सोहनलाल हि. 7/1800 जाति ब्राह्मण				
16. बलवंतराम पुत्र हेमाराम हि. 17/840 जाति जांगिड़				
17. बीरबलसिंह पुत्र सरदारसिंह हि. 11/126 जाति राजपूत				
18. भादरमल पुत्र मंगलाराम हि. 9/400 जाति राजपूत				
19. मंजू पुत्री हनुमानप्रसाद हि. 17/1400 जाति राजपूत				
20. मथुरा प्रसाद पुत्र अर्जुनलाल कुमावत हि. 1111/1260000 जाति				

Patel
20/1/24

श्रीमतीर सिंह
सहायक कलक्टर (विश्व डेरा)
श्रीनाथपुर (नीमवाली)

जांगिड़				
21.	मनोज कुमार पुत्र रामवतार हि. 5/252 जाति ब्राह्मण			
22.	मूलचन्द पुत्र हेमाराम हि. 17/840 जाति जांगिड़			
23.	महेश पुत्र हनुमान प्रसाद हि. 17/1400 जाति राजपूत			
24.	मालाराम पुत्र मंगलाराम हि. 9/400 जाति राजपूत			
25.	मिश्री कंवर पत्नी मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत			
26.	रुड़मल पुत्र प्रभातीलाल हि. 119/90000 जाति माली			
27.	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद हि. 17/1400 जाति राजपूत			
28.	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र अर्जुनलाल हि. 1111/260000 जाति जांगिड़			
29.	रामकिशोर पुत्र सुरजमल हि. 11/8400 जाति अहीर			
30.	रामपाल पुत्र हेमाराम हि. 17/840 जाति जांगिड़			
31.	रामसिंह पुत्र मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत			
32.	लिछमण सिंह पुत्र मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत			
33.	श्रवण देवी पत्नी भैरुसिंह हि. 1/300 जाति ब्राह्मण			
34.	शांति पत्नी हनुमानप्रसाद हि. 17/1400 जाति राजपूत			
35.	सुभाषचन्द पुत्र रामावतार हि. 1/300 जाति ब्राह्मण			
36.	सरीता पुत्री हनुमानप्रसाद हि. 17/1400 जाति राजपूत			
37.	सरोज कंवर पुत्री मदनसिंह हि. 341/7000 जाति राजपूत			
38.	हनुमानसहाय पुत्र लादूराम हि. 1/168 जाति माली सा. अणतपुरा खातेदार			
	योग	5	C.9633 है.	6.00



P. K. K.
30/9/24
दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (आय) (अ)
श्रीमाधोपुर (निम्नकाजना)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी एवं मौका स्थिति के अनुसार भूमि की किस्म अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ./24/46 दिनांक 09.01.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Dathor
30/01/24
(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Dathor
30/01/24
(दिलीप सिंह)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

